प्रेस विज्ञप्ति

9/10/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना ने अरुण यादव (संदेश निर्वाचन क्षेत्र से 2015-2019 तक पूर्व विधायक) और उनके परिवार के सदस्यों, जिनमें किरण देवी (पत्नी) (संदेश निर्वाचन क्षेत्र से 2019 से अब तक विधायक), राजेश कुमार, दीपू सिंह (दोनों अरुण यादव के बेटे) और मेसर्स किरण दुर्गा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी) शामिल हैं, की 19.32 करोड़ रुपये (लगभग) की 46 अचल संपत्तियों और बैंक खातों में 2.05 करोड़ रुपये (लगभग) की उपलब्ध शेष राशि को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई अरुण यादव और अन्य के खिलाफ धन-शोधन के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत की गई है। अचल संपत्तियां भोजपुर जिले के अगियांव गांव और पटना (बिहार) के पॉश इलाकों में स्थित हैं।

ईडी ने जांच शुरू की बिहार पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और आर्म्स एक्ट, 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत अरुण यादव और अन्य के खिलाफ दर्ज चार प्राथमिकियों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आरोप है कि अरुण यादव जघन्य अपराधों और अवैध रेत खनन और रेत की बिक्री में भी शामिल रहे हैं ।

ईडी की जांच में पता चला है कि 2014-15 से 2022-23 की अवधि के दौरान, अरुण यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने नकदी के माध्यम से कृषि भूमि के 40 पार्सल (लगभग 3.04 करोड़ रुपये की कीमत) हासिल किए हैं। उन्होंने दानापुर में 4 फ्लैट (लगभग 2.56 करोड़ रुपये की कीमत) और पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना, बिहार में एक वाणिज्यिक भूमि (3.44 करोड़ रुपये की कीमत) भी हासिल की है और उन्हें हासिल करने के लिए पर्याप्त नकदी का इस्तेमाल किया गया है। अरुण यादव ने अपने गांव अगियांव में विशाल महलनुमा आवास भी बनवाया है, जिसकी कीमत 11.03 करोड़ रुपये (लगभग) है। ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि अरुण यादव बिहार के औरंगाबाद और रोहतास जिलों में अवैध रेत खनन में एक सिंडिकेट सदस्य रहा है ।

ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि जांच के दौरान अरुण यादव और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में (लगभग 8.18 करोड़ रुपये) और संबंधित इकाई मेसर्स किरण दुर्गा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खाते में (लगभग 11.80 करोड़ रुपये) बिना किसी आधार और वैध औचित्य के भारी मात्रा में नकदी जमा की गई। इस तरह अरुण यादव ने अपने परिवार के सदस्यों और कंपनी के नाम पर 39.31 करोड़ रुपये (लगभग) की भारी संपत्ति अर्जित की है, जो जाहिर तौर पर उनकी आय के वैध स्रोत से अधिक है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अरुण यादव और उनकी पत्नी किरण देवी 2015 से लेकर आज तक सार्वजनिक पद पर हैं (यानी बिहार के संदेश निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं)।

ईडी की जांच से पता चला है कि अरुण यादव ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर और अपने पद का दुरुपयोग करके भारी मात्रा में अपराध से आय अर्जित की है और अपराध के पैसे को नकदी के माध्यम से संपत्ति अर्जित करने, आलीशान आवास बनाने और अपनी वैध आय की आड़ में अपने बैंक खातों में जमा करने में छिपाया है। उन्होंने बैंकिंग प्रणाली और मेसर्स किरण दुर्गा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का दुरुपयोग करके अपराध से उत्पन्न कमाई (पीओसी)को परत-दर-परत वैद्य (सफेद) किया और इसे बेदाग दिखाया।

आगे की जांच जारी है।